न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 26 / 2024

अनवान : –

1 सुखदेव सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. संतोष पत्नी रामस्वरुप जाति सुथार निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
उपस्थिति :–**श्री अब्दुल सतार जोईया प्रार्थी**
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 22/4/25

प्रार्थी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है चक नं० 1 जीजीआर के प०न० 229 / 300 मु0 76 किलानं0 24 / 2 / 0.063 है० आराजी में पश्चिमी हिस्सा में दक्षिण से उतर की ओर 10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत् चक नं० 1 जीजीआर के पटवार हल्का तलवाड़ा के प०न० 229 / 300 मु0 76 किलानं0 12, 13, 14, 15, 16 / 2 / 0.127, 17, 18, 19, 20 /2 / 0.053 है0 कुल 1.951 है० आराजी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नथा सिह, पालसिह व बलदेवसिह के नाम से दर्ज कागजात माल है प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अपनी आराजी में आवागमन के लिए प0न0 229 / 300 मु0 76 किलानं0 24 /2 / 0.063 है0 आराजी के पश्चिमी हिस्सा में विगत 20 वर्षो से चालु रास्ता के जरिये अपनी आराजी में आवागमन करते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थीया ने दिनांक 16.02.2024 को उपरोक्त वर्णित रास्ता गैर कानूनी रुप से बंद कर दिया जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 19.02.2024 को तहसीलदार राजस्व टिब्बी के समक्ष 251 आर. टी. ए. के तहत रास्ता खुलवाने बाबत दरख्वास्त पेश की जिस पर तहसीलदार टिब्बी द्वारा रिपोर्ट तलब की गई जो संलग्न पत्रावली है । प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज आराजी में आने जाने के लिए प०न० 229 / 300 मु0 76 किला नं० 24 / 2 / 0.063 है0 की आराजी में से रास्ता विगत 20 वर्षो से चला आ रहा था जिसके जरिये प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अपनी आराजी में आवागमन करते चले आ रहे थे। अप्रार्थीया संतोष के खरीद से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित आराजी में रास्ता चला आ रहा था लेकिन अप्रार्थीया ने सरकारी छुट्टियों का नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 16.02.2024 को उपरोक्त वर्णित रास्ता विधि विरूद्व व बिना किसी अधिकारिता के अवैद्य रुप से बंद कर दिया। अप्रार्थीया संतोष उपरोक्त वर्णित रास्ता की आराजी में पक्की दीवार निकाल कर, पक्का निर्माण कर स्थाई तौर बंद करने की फिराक में है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया संतोष अपने इस गैर कानूनी मक्सद में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जावेगा तथा प्रार्थी व प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

भाईयों का अपनी आराजी में आवागमन अवरूद्व हो जायेगा। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित रास्ता को स्वीकृत करवाकर कागजात माल में दर्ज करवाना चाहता है तथा प्रार्थी, अप्रार्थीया संतोष के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पाने का अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थीया चक नं० 1 जीजीआर के प०न० 229/300 मु0 76 किलानं0 24/2/0.063 है० आराजी में चल रहे रास्ता को किसी भी प्रकार से बाधित करने, अवरोध पैदा करने तथा रास्ता की आराजी में किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य करने तथा प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा कारित करने से ममनू व बाज रहे। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों को रास्ता की नितांत आवश्यकता है तथाउपरोक्त वर्णित रास्ता के अलावा प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की आराजी में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति का है जो एक रुपये की कोर्टफीस पर तहरीर है तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है ।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर०टी०ए० प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं० 1 जीजीआर के प0न0 229 / 300 मु0 76 किलानं0 24/2/0.063 है० आराजी के पश्चिमी हिस्सा में दक्षिण से उतर की ओर 10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर कागजात माल में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। जनाब की मेहरबानी होगी।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र मदवार पेश किया किप्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 कृषि भूमि से सम्बन्धित है, रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थी का यह कथन कतई गलत है कि चक 1 जीजीआर प0न0 229 / 300 मु0 76 किलानं0 24/2/063 है0 में कोई चालू रास्ता हो । अप्राश्रया द्वारा चक 1 जीजीआर प०न० 229 / 300 मु0 76 किलानं0 24/2/063 है० आराजी जुलाई वर्ष 2023 में खरीद की गई है, खरीद करने के बाद किलानं0 24 / 2 में कोई रास्ता चालू मैं नही रहा है। अप्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी खातेदारी आराजी है । अप्रार्थीया द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी में बाड़बंदी की हुई है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित तथ्य कि प०न० 229 / 300 मु0 76 किलानं0 24/2/.063 है0 आराजी में से कोई चालू रास्ता हो, कतई गलत अंकित किया है। प्रार्थी ने यह भी कतई गलत अंकित किया है कि अप्रार्थीया ने सरकारी छुटियों का नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 16.02.2024 को विधि विरूद्ध तरीके से रास्ता बंद किया हो । प्रार्थी ने यह कथन भी कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। मुझ अप्रार्थीया की आराजी में किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है । प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया के विरूद्व किसी भी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थी ने यह कतई गलत अंकित किया है कि उपरोक्त वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग न हो । प्रार्थी को कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है जो जरिये नक्शा वैकल्पिक मार्ग जो कम दूरी का है जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी

चक 1 जीजीआर प0न0 229/300 मु0 76 किलानं0 20/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि चक 1 जीजीआर खाता सं0 231/214 प0न0 229/300 मु0 76 किलानं0 20/1 कलवन्तसिह वगैरह के नाम दर्ज है जो 20/1 में वैकल्पिक मार्ग कम दूरी का है। किलानं0 20/1 में से कम दूरी का रास्ता उपलब्ध होने के कारण स्वीकृत करवाया जा सकता है। प्रार्थी ने जान बुझकर मुझ अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिए गलत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क की मंशा है कि कम दूरी का रास्ता उपलब्ध हो तो अधिक दूरी का रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता । यह कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राजस्व टिब्बी के माध्यम से पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जो रिपोर्ट प्राप्त की वह पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर मुझ अप्रार्थीया को नही बुलाया गया। जबकि प्रार्थी को चक 1 जीजीआर प०न० 229/300 मु0 76 किलानं0 20/2 किलानं0 20/1 के चिपता हुआ है जो सबसे कम दूरी का रास्ता है। प्रार्थी के चक नं० 1 जीजीआर कलवन्तसिह वगैरह की आराजी जो बिल्कुल चिपती हुई है वहॉ से आ जा सकते है । प्रार्थी ने जानबुझ कर तंग व परेशान करने के लिए मुझ अप्रार्थीया के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया की आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाने का विधिक रुप से अधिकारी नही है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नाचलने काबिल है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 कानूनी है अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी के रिपोर्ट राजकाज पत्रांक 9623267 दिनांक 07.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, रिपोर्ट शामिल मिसल की गयी, उभयपक्ष ने तहसीलदार राजस्व टिब्बी की रिपोर्ट पर ऐतराज जाहिर करते हुए न्यायालय द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया, वकील उभयपक्ष के निवेदन पर दिनांक 06.03.2025 को पटवारी हल्का के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर फर्द मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक मौका निरीक्षण प्रार्थी द्वारा 229/300 मु0न0 76 किला न0 24/2 में रास्ता चाहा गया (बिन्दु ए) लेकिन यहा से होकर प्रार्थी के होकर प्रार्थी के खेत की दुरी बिन्दु ए से 165 फीट है तथा उक्त भूमि पर पक्की ईंटों से बाउण्ड्री का निर्माण किया गया है तथा प0न0 229/300 मु0 76 किला न0 20/1 बिन्दु बी से प्रार्थी के खेत की दूरी 132 फीट है जो कम दुरी दर्शाती है। प0न0 229/300 मु0 76 कि0न0 20/1 कलवंत सिंह पुत्र दया सिंह, जगसीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह, नरवैलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, भोलासिंह पुत्र डूंगरसिंह स्वर्णसिंह पुत्र करनैलसिह जाति जटसिख सा0 तलवाडा झील के नाम से दर्ज राजस्व रिकोर्ड है, जिसमें भूमि के दशिण दिशा में ढाणी संतोष पत्नी रामस्वरूप जाति सुथार जाति साकिन तलवाडा झील के नाम रिकोर्ड में दर्ज है, जिसमें जिसमें इंटो से बाउन्ड्री का निर्माण किया गया है प्रार्थीयान की भूमि पर गेहू की फसल खडी है तथा नक्शे में चिन्हित अन्य काश्ताकारो की भूमि पर भी गेहू की फसल खडी है किला न0 21 में सरसो की फसल खडी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की

सहायक कलेक्टर टिब्बी

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए आरटीएक्ट में वर्णित प्रावधान अन्य खातेदारो की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करने से सबंधित है, न कि किसी मौके पर प्रचलित चालू रास्ते को रिकोर्ड में अंकन करवाना है मौके पर प्रचलित रास्ते को रिकोर्ड में अंकन करवाने अथवा बंद नही करवाने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव भू–राजस्व अधिनियम की पृथक धाराओं में बने हुए है। नजरी नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई मु0न0 76 के किला न0 24/2 लगभग 165 फिट है। जबकि इसी मु0 के किला न0 20 से प्रार्थी की खातेदारी की दूरी लगभग 132 फिट है जो लघुतम दूरी पर है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी काश्तकारी अधिनियमों के तहत सुसंगत नही होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए उपरोक्त विवेचानुसार खारीज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22/4/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहिनारायण RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़